(b) RBI's Office Bhubneshwar started functioning since 1962.

(c) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना के अधीन बेहिसाबी धन की घोषणा

690. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना शुरू करने के बाद अपने बेहिसाबी धन की घोषणा करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) इस योजना के शुरू होने के पश्चात् अब तक इसके अंतर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(ग) यह योजना काले धन का पता लगाने के उद्देश्य से विगत में शुरू की गई इसी प्रकार की अन्य योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) और (ख) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना दिनांक 1.7.1997 से प्रचालन में आयी दिनांक 31.12.1997 तक लागू रहेगी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण संघटक पूर्ण गोपनीयता है जिसे घोषणाकर्ताओं के संबंध में बनाए रखा जा रहा है। इस योजना की प्रतिक्रिया काफी हद तक उक्त गोपनीयता को बनाए रखने में विभाग की क्षमता पर भावी घोषणाकर्ताओं के विश्वास पर निर्भर करेगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस योजना में यह व्यवस्था है कि घोषणाएं केवल आयकर आयुक्तों के पास प्रस्तुत की जाएंगी। इसी कारण से घोषणाकर्ताओं की संख्या अथवा घोषित की गई धनराशि आदि के बारे में आयुक्तों के केन्द्रीयकृत रूप से ब्यौरे प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के प्रचालन की अवधि के समाप्त होने पर स्थिति की समीक्षा की जाए।

(ग) वर्तमान योजना और पूर्ववर्ती योजनाओं के बीच मुख्य अंतर निम्नानुसार हैं:—

I. कर दर:

वर्तमान योजना के अन्तर्गत कर की वसूली समान दर पर की जाती है जबकि अधिकांश पूर्ववर्ती योजनाओं में तालिका में निर्धारित की गई क्रमवर्ती दरों पर कर प्रभारित किया जाता है।

II. धन का प्रकटन:

मौजूदा योजना के अन्तर्गत धन के प्रकटन की अनुमति नहीं दी जाती है। इस योजना आय के प्रकटन के लिए है।

III. कर का भुगतान:

मौजूदा योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक रूप से प्रकटित की गई आय के संबंध में संदेय कर को घोषणा दायर करने के पूर्व अदा करना होता है। यदि घोषणा दायर करने से पूर्व कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो घोषणाकर्ता को घोषणा दायर करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर कर (ब्याज सहित) कर भुगतान करना होता है । यदि घोषणाकर्ता इन तीन महीनों की समाप्ति से पूर्व कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो उक्त घोषणा को शून्य समझा जाएगा। अधिकांश पूर्ववर्ती योजनाओं में कर का भुगतान किस्तों में किया जा सकता था। मौजूदा योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ घोषणाकर्ता को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अर्थदंड और अभियोजन से उन्मुक्ति की अनुमति दी जाती है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संबंध में उक्त अन्मुक्ति मोटे तौर पर उसी प्रकार की है जैसी कि विदेशी मुद्रा में प्रेषण (उन्मुक्ति) योजना, 1991 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

V. तलाशी और अभिग्रहण के मामलों में आय का प्रकटन:

मौजूदा योजना का लाभ उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में, जिस वर्ष में तलाशी की गई है अथवा किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में उपलब्ध नहीं है। इस योजना का लाभ उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय के संबंध में भी उपलब्ध नहीं है जिस वर्ष में सर्वेक्षण किया गया है। आय और धन की स्वैच्छिक प्रकटन योजना, 1976 के अन्तर्गत तलाशी के मामलों में भी शर्तों के अनुसार कुछेक लाभ उपलब्ध थे।

Burden on People in the Name of Implementing the Fifth Pay Commission Report

691. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports that